



बिहार विधान परिषद

210वां मॉनसून सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

25 जुलाई 2025

[शिक्षा - विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा - तकनीकी शिक्षा - खान
एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा - खेल].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या 20

आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू

*61

श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिले के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियोजित शिक्षक/ विशिष्ट शिक्षक प्राधिकृत हैं, परंतु कुछ विद्यालयों को चिन्हित करके विद्यालय अध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि एक ही जिले में दोहरी निर्णय/ असमानता के कारण विद्यालयों में सभी कोटि के शिक्षकों के बीच द्वेष की भावना व भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि किस विभागीय नियम के आलोक में शिक्षकों का वरीयता निर्धारण कर जिला कार्यालय द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राधिकृत किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर जिला सहित राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर किसी भी कोटि के शिक्षकों को प्राधिकृत करने हेतु एक स्पष्ट व एकरूपता वाली नीति/ आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्टेडियम का निर्माण

***62 श्री मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अंतर्गत पुरनहियां प्रखंड के सोनौल सुलतान उच्च विद्यालय परिसर में स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निःशुल्क किताब वितरण

***63 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 26 लाख बच्चों को 8 मई, 2025 तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 की किताबें उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिसके कारण एक माह तक वे पठन-पाठन से वंचित रहे और बच्चे और अभिभावक परेशान रहे;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग 69 हजार विद्यालयों में विशेष अभियान के तहत कक्षा एक से आठ तक नामांकित लगभग 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को निःशुल्क

किताब वितरण करना था, जिनमें 84 लाख बच्चों को ही किताबें मिल सकीं हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष इस समस्या के उत्पन्न होने के बावजूद हर नए शैक्षणिक सत्र में समय पर सभी बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है और छात्र हित में इसका क्या स्थायी समाधान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

***64 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड अन्तर्गत पंचायत-छतिहर ग्राम-खानपुर में उक्रमित मध्य विद्यालय में मात्र दो कमरा उपलब्ध है, जिसमें वर्ग 01 से वर्ग 08 तक कक्षा संचालित किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि कमरों की संख्या कम रहने के कारण छात्रों को बैठने में असुविधा होती है, जिसके कारण शिक्षकों एवं छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के हित में विद्यालय में कमरों की संख्या बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालयों का भवन निर्माण

***65 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के सुपौल प्रखंड के कोशी तटबंध के भीतर के क्षेत्र में दर्जनों सरकारी विद्यालय भवनहीन हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सुपौल प्रखंड के तेलवा पंचायत के मध्य विद्यालय नकटा, मध्य विद्यालय सितुहर, मध्य विद्यालय नयानगर, उर्दू प्रा० वि० बेला सितुहर, प्रा० वि०

सोनवर्षा और बलवा पंचायत के प्रा० वि० कर्णपटी, प्रा०वि० नरेहिया, प्रा० वि० डुमरिया, उत्क्रमित म० वि० बलवा, प्रा० वि० शोकेला, प्रा० वि० नरेहिया तथा घूरन पंचायत के उर्दू प्राथमिक विद्यालय घूरन, कन्या प्रा०वि० घूरन एवं बसविट्टी पंचायत के प्रा० वि० मुसहरनिया तथा गोपालसिरे पंचायत के प्रा०वि० गोपालपुर खुर्द भवनहीन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुस्तकालय भवन का निर्माण

***66 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है की गया जिला के डुमरिया प्रखंड के सेवरा पंचायत के ग्राम - मैगरा में एक 60 - 70 वर्ष पुराना सरकारी पुस्तकालय स्थित है;

(ख) क्या यह सही है की उक्त पुस्तकालय में पाण्डुलिपि में लिखा हुआ, चारों ग्रन्थ उपनिषद एवं कुरान जो इतिहास की धरोहर है वह उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सही है की इस पुस्तकालय की स्थिति अत्यंत जर्जर है और इस भवन में लाइब्रेरियन भी नहीं है;

(घ) क्या यह सही है की इस पुस्तकालय में मौजूद ग्रन्थ को बांध कर रख दिए गया है और मैगरा थाना इस भवन में चलाया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाण्डुलिपि ग्रंथों को सुरक्षित कर भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

***67 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत नावानगर प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर जिला अंतर्गत नावानगर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राशि की वापसी कबतक

***68 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों, विशेषकर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर सहित अन्य विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद से अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि हर वर्ष नामांकन या पुनः नामांकन के समय छात्रों से छात्र संघ चुनाव मद में ₹100 या उससे अधिक राशि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा नियमित रूप से ली जाती रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र संघ चुनाव कराने एवं छात्रों से जमा की हुई राशि को वापस लौटाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

भवन का निर्माण

***69 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पुनपुन प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेला कन्या का भवन

पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है जिससे उक्त भवन में पठन-पाठन का कार्य नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के ध्वस्त हो जाने के कारण बच्चों की पठन-पाठन कार्य प्राथमिक विद्यालय मकदुमपुर में हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय बेला कन्या के भवन का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उपकेन्द्र सुचारू रूप से संचालन

***70 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय में छात्र-छात्राओं को मार्कशीट, माइग्रेशन हर छोटे-बड़े कार्यों के लिए ल०ना०मि० विश्वविद्यालय दरभंगा जाना पड़ता है जिसकी दूरी बेगूसराय से 120 किलोमीटर है। 12 जुलाई 2015 को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में ल०ना०मि० विश्वविद्यालय के उपकेन्द्र की शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय के उपकेन्द्र को शुरू करने का उद्देश्य विफल है। उपकेन्द्र से छात्र-छात्राओं को कोई सेवा नहीं मिल पा रहा है, जबकि राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के उपकेन्द्र प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय के जीडी कॉलेज में ल०ना०मि० विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र सुचारू रूप से संचालन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विद्यालय का भवन निर्माण

***71 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड

अन्तर्गत पंचायत चमुआ ग्राम लंगड़ा (दिउलिया टोला) में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेतु दिनांक 20.07.2018 को खाता सं:-96 खेसरा सं:-117 कुल रकबा 11.5 डिसमल जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम श्री रामजी बैठा पि० स्व.बल्लु बैठा द्वारा निबंधित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत होने के बाद भी भवन का निर्माण नहीं होने से बच्चे दो कि.मी. दूर दुसरे विद्यालय में जाकर अपनी पढाई करने पर विवश हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय का भवन निर्माण अविलम्ब कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

एम.ए.सी.पी. का लाभ

***72 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक 14 /7 /2010 की कंडिका 26 ख एवं ज्ञापांक-15338, दिनांक 20 /11 /12 की कंडिका 3 के आलोक में राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापकों को कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तृतीय MACPS का लाभ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन्हीं विद्यालयों के सहायक शिक्षकों से BPSC द्वारा चयनित प्रधानाध्यापकों को कुल 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी तृतीय MACPS का लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीपीएससी द्वारा चयनित प्रधानाध्यापकों को भी कुल 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद तृतीय MACPS का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निजी स्कूलों की मनमानी

***73 श्री अनिल कुमार (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा दिलाने की चाहत रखने वाले अभिभावक शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों(प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी) में नामांकन हेतु लंबी एवं महंगी प्रक्रिया से गुजरने को मजबूर है एवं फीस के नाम पर अभिभावकों के जेब पर भारी बोझ पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को नामांकन के दौरान तीन-चार स्कूलों में आवेदन करते हैं ताकि किसी एक में तो दाखिला मिल सके, जिसके लिए उन्हें 4 से 5 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के धारा 13 (1) के तहत बालक को प्रवेश देते समय कोई विद्यालय बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखने का प्रावधान करता है, फिर भी निजी स्कूल द्वारा बालकों एवं उनके माता-पिता को Test/Interview के नाम पर विद्यालयों द्वारा टार्चर किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नामांकन न होने की स्थिति में अभिभावकों को 80 प्रतिशत फीस लौटाने तथा अभिभावकों को प्रताड़न से बचने हेतु निर्देशित करना चाहती है ताकि अभिभावकों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय में पुनः योगदान

***74 प्रो. संजय कुमार सिंह(तिरहुत शिक्षक) :**
श्री वंशीधर ब्रजवासी(स्नातक तिरहुत) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि डी.एल.एड. (दूरस्थ शिक्षा) के प्रशिक्षण सत्र 2013-15, 2014-2016, 2015- 2017 एवं 2016-2018 में अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित एवं परीक्षार्थियों/शिक्षकों के लिए निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. बिहार द्वारा विशेष परीक्षा,

2024 आयोजित की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सत्र में ही कई नियमित कोर्स वाले शिक्षकों को डी.एल.एड. परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के कारण (अप्रशिक्षित) शिक्षा विभाग द्वारा सेवा से हटा दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि 10 वर्षों की सेवा के पश्चात् सैकड़ों शिक्षकों को सेवामुक्त किए जाने से उनके परिवार के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सत्रों के नियमित कोर्स वाले अनुत्तीर्ण शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने तथा उन्हें विद्यालय में पुनः योगदान कराकर उनकी सेवा नियमित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पीएचडी शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान

***75 श्री कार्तिक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, पटना):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में पीएचडी शोधार्थियों को शून्य वित्तीय सहायता के कारण अपने शोध कार्य को स्थगित या त्यागने के लिए विवश हो रहे हैं। यह स्थिति राज्य में उच्च शिक्षा, नवाचार, और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधक बन रही है;

(ख) क्या यह सही है कि देश के अनेक राज्यों में राज्य सरकार द्वारा नियमित फेलोशिप एवं शोध हेतु अनुदान दिया जाता है, जबकि बिहार राज्य में ऐसी कोई समर्पित, नियमित एवं समावेशी फेलोशिप योजना अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में ऐसी कोई समर्पित, नियमित एवं समावेशी फेलोशिप योजना प्रभावी रूप से लागू हो तो सरकार के पास यह आंकड़ा उपलब्ध है कि राज्य में फेलोशिप (वर्ष, बजट, लाभार्थियों की संख्या सहित) क्या है, उसके अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, और कितने शोधार्थियों को अब तक लाभ मिला है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने

हेतु कोई समयबद्ध योजना बना रही है कि राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को बिना पक्षपात के न्यूनतम मानकों के अनुसार मासिक फेलोशिप प्रदान की जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक शोध कार्य कर सकें, यदि हां तो कबतक?

शिक्षकों की नियुक्ति

***76 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सत्येन्द्र नारायण सिंह इंटर विद्यालय बुन्देलखंड, नवादा में सातवीं से दसवीं तक की पढ़ाई हुआ करता था, जिससे वर्ष 2016 से इंटर विद्यालय का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त इंटर विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए एक भी इंटर के शिक्षक पदस्थापित नहीं रहने के कारण माध्यमिक शिक्षक के द्वारा पठन-पाठन कराया जाता है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सत्येन्द्र नारायण सिंह इंटर विद्यालय बुन्देलखंड, नवादा के बच्चों को मूलभूत सुविधा के साथ-साथ इंटर की पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

***77 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के बलुआ बाजार पंचायत के वार्ड सं० 9 में महादलित टोले की आबादी लगभग दो हजार है;

(ख) क्या यह सही है कि बलुआ बाजार पंचायत के वार्ड सं० 9 में स्थित महादलित टोले

में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलुआ बाजार प्रखंड के वार्ड सं० 9 में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षा सेवा में संविलयन

***78 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ज्ञापांक-1030, दिनांक 29.09.2011 द्वारा 04 शिक्षिकाओं, ज्ञापांक-1605, दिनांक 29.10.2018 द्वारा 01 शिक्षिका एवं ज्ञापांक-911, दिनांक 05.07.2021 द्वारा 01 शिक्षिका को निम्न अवर शिक्षा से अवर शिक्षा सेवा में प्रोन्नति दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग (निदेशक) ने ज्ञापांक-31, दिनांक 05.01.2016 द्वारा 155 संस्कृत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से अवर शिक्षा सेवा मानते हुए बिहार शिक्षा सेवा में संविलयन किया। अपर मुख्य सचिव ने ज्ञापांक -1661, दिनांक 08.12.2022 द्वारा (+)-2 उच्च विद्यालयों के 226 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से अवर शिक्षा सेवा मानते हुए बिहार शिक्षा सेवा में संविलयन किया;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रोन्नति से वंचित 35-40 वर्षों से सेवारत निम्न अवर सेवा की 104 शिक्षिकाओं को नियुक्ति तिथि से अवर शिक्षा सेवा मानते हुए बिहार शिक्षा सेवा में संविलयन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पंजीयन करने का आदेश

***79 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 641 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय जिसका कोड पूर्व में विभाग द्वारा निलंबित किया गया था उनका कोड अगले 01 वर्ष के लिए पुनर्बहाल किया गया है जबकि उन संस्थानों में वर्ष 2024 में नामांकित विद्यार्थियों का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए अभी तक पंजीयन का कोई आदेश नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि नामांकित विद्यार्थियों का पंजीयन न होने से बच्चे व उनके अभिभावक दोनों ही उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं तथा विद्यालय प्रबंधन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन करने का आदेश अविलंब निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति

***80 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर जिला के मसही पुरातत्व स्थल से प्राप्त जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति विगत लगभग 30 वर्षों से कैमूर जिला के भगवानपुर थाना परिसर में रखी हुई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दुर्लभ एवं प्राचीन मूर्ति को किसी संग्रहालय में रखना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना - 800015.

25 जुलाई, 2025.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्